न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गाप्रसाद मीणा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 5/2022 निर्णय दिनांक :– 15/6/2023

उनवानी प्रार्थना पत्रः–

1. महेन्द्र सिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी बालून्दा तहसील दूनी/नगरफोर्ट जिला टोंक राज0

–प्रार्थीगण–

बनाम

तहसीलदार महोदय दूनी/नगरफोर्ट जिला टोंक राज0

–अप्रार्थी–

उपस्थितिः–

श्री आलोक कुमार शर्मा तहसीलदार नगरफोर्ट
अधिवक्ता प्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0 आर0 एक्ट आर.टी.ए बाबत किये जाने पत्थरगढी

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजी भूमि खसरा नम्बर 436 रकबा 0.47 है0, खसरा नम्बर 437 रकबा 0.23 है0, खसरा नम्बर 438 रकबा 1.44 है0, खसरा नम्बर 439 रकबा 0.03 है0, कुल किता 4 कुल रकबा 2.17 है0, वाके ग्राम बालून्दा तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि के सीमा चिन्ह मिट चुके है तथा सीमाएं अस्पष्ट हो गई है। जिसके कारण मोके पर प्रार्थी एवं अड़ोस पड़ोस के खातेदारो के मध्य उक्त भूमि की सीमा एवं कब्जे को लेकर गंभीर विवाद होने के संभावना उत्पन्न हो गई है। ऐसी स्थिति मे उक्त भूमि की पत्थरगढी करवाया जाना नितान्त आवश्यक है। उक्त भूमि बाबत कोई वाद न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न किसी प्रकार का कोई स्थगन आदेश भी न्यायालय से जारी नहीं है। प्रार्थी नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने को तैयार है। प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार न्यायालय को प्राप्त है। अतः उक्त आराजी बाबत श्रीमान तहसीलदार दूनी को नियमानुसार आदेश फरमाया जावे।

अप्रार्थी तहसीलदार नगरफोर्ट की तलबी जारी की गई।

तहसीलदार नगरफोर्ट द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की जो इस प्रकार हैः– उक्त आ आवेदको के खातेदारी में दर्ज है एवं आवेदको का मौके पर कब्जाकाश्त है। आवेदक का अन्य पड़ोसी खातेदारो सीमा विवाद नहीं है, इस कारण उनको पक्षकार नहीं बनाया गया है।। उक्त आराजी के संबंध में किसी न्यायालय का स्थगन प्राप्त नहीं है। आवेदक की भूमि की सीमाओं पर अतिक्रमित राजकीय भूमि नहीं है । उक्त भूमि का पूर्व में सीमाज्ञान नहीं नहीं हुआ है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। तहसीलदार नगरफोर्ट की बिन्दूवार रिपोर्ट अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः तहसीलदार नगरफोर्ट को एतत् द्वारा आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी व पड़ोसी खातेदारान की उपस्थिति में प्रार्थी से नियमानुसार पत्थरगढी/सीमाज्ञान शुल्क राजकोष में जमाकर जमाबन्दी सम्वत **2073–2076** में अंकित खसरा नम्बर 436 रकबा 0.47 है0, खसरा नम्बर 437 रकबा 0.23 है0, खसरा नम्बर 438 रकबा 1.44 है0, खसरा नम्बर 439 रकबा 0.03 है0, कुल किता 4 कुल रकबा 2.17 है0, वाके ग्राम बालून्दा तहसील दूनी जिला टोंक की विधिवत् पत्थरगढी की जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली